

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन राहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठरीन अधिकारी :- नारायणलाल जीनगर आर०ए०ए०

क्रमा संख्या : २१ / २०२३ अ०फ०

बिम्बे उतापी वा देवा कलाडी नि० करवा-हल्का-करेडा

प्रार्थी.....

वनाग

उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार करेडा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक २१/५/२३

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
दिया कि ग्राम करवा पटवार हल्का धुवावा (३०) तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की  
संख्या १७१ आराजी नम्बर १३३२/३३२

कुलकिता १ रकबा १.०११२ हैक्टियर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य  
आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने  
खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक २३/५/२३ को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ  
यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।  
इसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदेशा नही है तथा न किसी  
प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर  
आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करवा  
पटवार हल्का धुवावा (३०) तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या १७१ आराजी  
नम्बर १३३२/३३२

कुलकिता १ रकबा १.०११२ हैक्टियर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी  
किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक विराणा को ६००/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त  
किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में  
मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी  
होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेडा जिला भीलवाडा  
सहायक कलक्टर

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेडा जिला भीलवाडा  
सहायक कलक्टर